

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद / 2022 / 1475

दिनांक : 06-12-2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 मुकनाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 03  
जाति जाट, निवासी गैहूवाला,  
बायतु भीमजी, तहसील बायतु(बाड़मेर)

1.तगाराम पुत्र हनुमानराम वगैरा 62  
जाति जाट, निवासी बायतु भीमजी  
, तहसील बायतु(बाड़मेर)

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 402 / 2022

#### आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - गैहूवाला पटवार मण्डल - बायतु भीमजी, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 180, 185, 186, 187, 269, 270 रकबा क्रमशः 2.8881, 1.8607, 0.0324, 5.8410, 8.0010, 0.2508 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनरी शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(मनोज) (SDO)  
सहायक उपखण्ड अधिकारी (SDO)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 06-12-2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 1476-80

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
1. पटवारी हल्का बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
2. प्रार्थी श्री मुकनाराम पुत्र खीयाराम वगैरा 03
3. विप्रार्थी श्री तगाराम पुत्र हनुमानराम वगैरा 62
4. पुलिस थानाधिकारी बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
जिला - बाड़मेर

